

28.3.25

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेस हुई

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि एक

प्राथमिक-पत्र प्राथमिक युवाओं को

द्वारा 212 RTA के तहत पेशकश

खिलाफ आरक्षी मसला नम्बर 4147,

4148, 4149 गाम करवा करौली पर

स्थान आदेश जारी करने हेतु निवेदन

दिया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा

द्वारा में ही दिनांक 28.6.2022 को

अस्थायी निर्णय जारी की। पक्षों को

को नोटिस जारी कर तालब दिया गया।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। उपरोक्त

बहस पर मतभेद करने, पत्रावली पर

उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के

अवलोकन से अस्थायी निर्णय को

क-पक्षों को दिया जाना उचित समझते



तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

है। अतः आदेश दिये जाते हैं कि पूर्व
में जारी साबिक आदेश दिनांक 28.11.
2012 को अन्त वाद के निस्तारण तक
कन्सर्न क्रिया जाता है। पमावली फौजदारी
शुमार दोसर नम्बर से काम हो तथा
काफिली दफ्तर है। निर्गम मुकदमे मामला
में सुनाया गया।

2012
28/11/12